ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

ुदमा नं0 19/2021

-जमशीदा पुत्र पहलू

-पहलू पुत्र ढुग्गी

-सब्बीर पुत्र पहलू जाति मेव निवासी ग्राम सबलगढ तहसील कामां जिला भरतपुर

प्राथीगण

बनाम

-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 14.12.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के ुत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 11/0.42, 410/0.15, 2/0.20, 511/.0.43, 681/0.21, 687/0.13, 87/0.38, किता 7 वाके ग्राम सबलगढ ुसील कामां मुताबिक जमाबन्दी सं0 2033–2036,जमाबन्दी सं0 2070–2073 खातेदारों के ाज छुटमल पुत्र घोसी पहलू पुत्र ढुग्गी, चन्दरी बेवा ममरेज बहिस्सा बराबर खातेदार 1/3, /3, 1/3 हिस्सा के खातेदार थे ,परन्तु हाल जमाबन्दी सं0 2074–2077 में जमशीद पुत्र ुलू का 1/2 हिस्सा पहलू पुत्र ढुग्गी का 1/4 हिस्सा , सब्बीर पुत्र पहलू का 1/4 का लत तरीके से दर्ज कर दिया गया है । जबकि प्रत्येक हिस्सेदार का 1/3, 1/3, 1/3 स्सा है । ऐसी स्थिति पक्षकारों आपस में झगडा फिसाद की स्थिति बनी रहती है । ताबिक जमाबन्दी सं0 2033–2036,जमाबन्दी सं0 2070–2073 के अनुसार संशोधन किया ाना न्याय हित हो गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयान का हिस्सा माबन्दी सं0 2033–2036,जमाबन्दी सं0 2070–2073के अनुसार संशोधन किया जाने के ादेश प्रदान किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब ्या गया । आज प्रशासन गांव के संग अभियान में उपस्थित पक्षकरान द्वारा एक लिखित हमति दी है कि जमाबन्दी सं0 2074–2077 में जमशीद पुत्र पहलू 1/2 हिस्सा , पहलू पुत्र ग्गी,1/4 हिस्सा सब्बीर पुत्र पहलू 1/4 हिस्से हो रहे गलत इन्द्राज को जमाबन्दी सं0 033–2036,जमाबन्दी सं0 2070–2073 खातेदारों के पूर्वज छुटमल पुत्र घोसी पहलू पुत्र ढुग्गी, न्दरी बेवा ममरेज बहिस्सा बराबर खातेदार 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा के अनुसार सही ्या जावे जिस पर हम पक्षकार अपने होश हवास से सहमत है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2029–2029, 033–2036, नामान्तकरण संख्या 273, 188 मिलान खसरा, भू प्रबन्ध विभाग की रिपोर्ट टवारी जाच रिपोर्ट पेश किये है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । आज प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम ाडली गुमानी समस्त पक्षकारान द्वारा राजीनामा व सहमती हेतु पेश हुए जिसकी जांच की यी । पक्षकारान की सहमति के अनुसार ।हो रहे गलत इन्द्राज को शुद्ध किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

र्गत धारा 136 भू0राजस्व0अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित
ते हैं ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 नियम के तहत स्वीकार किया जाता है । जमाबन्दी सं0 2074–2077 में जमशीद पुत्र 1/2 हिस्सा , पहलू पुत्र ठुग्गी,1/4 हिस्सा सब्बीर पुत्र पहलू 1/4 हिस्से हो रहे गलत ज को जमाबन्दी सं0 2033–2036,जमाबन्दी सं0 2070–2073 खातेदारों के पूर्वज छुटमल घोसी पहलू पुत्र ठुग्गी, चन्दरी बेवा ममरेज बहिस्सा बराबर खातेदार 1/3, 1/3, 1/3 सा के अनुसार सही किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया र बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कांमा (भरतपुर)